

WESTERN RAILWAY

P.S.No.41/2011

Headquarter Office,
Churchgate, Mumbai-20

No. E(P&A)70/6 Vol. VII

Date: 6.4.2011

To,
All DRMs / CWMS & Units Incharge,
C/- Genl. Secy., WREU-GTR / WRMS-BCT.
C/- GS-All India SC/ST Rly Employees Assn, W Zone, Mumbai
C/- GS-All India OBC Rly Empl. Assn, Mumbai.


Sub: Payment of Dearness Allowance to Railway employees – Revised
Rates effective from 1.1.2011.

=====

A copy of Railway Board's letter No.PC-VI/2008/1/7/2/1 dt. 25.3.11
(S No.PC-VI/251, RBE No.40/2011) is sent herewith for information, guidance and
necessary action.

Railways Board's letter dt. 22.9.10 (RBE No. 139/10 and RBE No. 106/2008
dt. 09.09.2008 as referred to therein were circulated under this office P.S. No.
131/2010 dt. 24.9.2010. & P.S. No. 105/08 dt. 12.9.08 resp.

Encl: As above.


(Laxmikant Kayastha)
For General Manager(E)

Copy of Railway Board's letter No. PC-VI/2008/1/7/2/1 dt. 25.3.11 (S.No.PC-VI/251,
RBE No.40/2011) addressed to the General Managers, All Indian Railways and
others.

Sub: Payment of Dearness Allowance to Railway employees – Revised
Rates effective from 1.1.2011.

=====

Please refer to this Ministry's letter of even number dated 22.09.2010
(S.No.PC-VI/227, RBE No.139/2010) on the subject mentioned above. The
President is pleased to decide that the Dearness Allowance payable to Railway
employees shall be enhanced from the existing rate of 45% to 51% with effect from
1st January, 2011.

2. The provisions contained in Paras 3,4 & 5 of this Ministry's letter of even
number dated 09.09.2008 (S No.PC-VI/3, RBE No.106/2008) shall continue to be
applicable while regulating Dearness Allowance under these orders.

3. The additional instalment of Dearness Allowance payable under these orders shall be paid in cash to all Railway employees. The payment of arrears of Dearness Allowance for the months of January and February, 2011 shall not be made before the date of disbursement of salary for March, 2011 and no honorarium is payable for preparing separate bill for this purpose.

4. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

पश्चिम रेलवे

पी.एस.सं. 41/2011

सं. ई (पी पट्ट प) 70/6 Vol.VII

प्रधान कार्यालय,

चर्चगेट, मुंबई,

दि. 6.4.2011

सभी मं.रे.प्र. /मु.का.प्र. और युनिट इनचार्ज़ .

प्रति : महामंत्री- बे,रे,ए.यू.-ग्रांटरोड/बे,रे,म.सं.-मुंबई सेंट्रल,

प्रति: महामंत्री- ऑल इंडिया अ.जा./अ.ज.जा.रेल कर्मचारी परसोशिपशन 'वेस्ट' शोन, मुंबई ,


प्रति: महामंत्री- ऑल इंडिया ओ.बी.सी., रेल कर्मचारी परसोशिपशन , मुंबई,

विषय : रेल कर्मचारीयों को महागाई भत्ते की अदायगी 01.01.2011 से संबोधित दरें।

रेलवे बोर्ड के दिनांक 25.03.2011 के पत्र सं. पी सी-VI/2008/I/7/2/1 (आर बी ई सं.40/20110) की प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

उसमें उल्लिखित रेलवे बोर्ड का दिनांक 22.9.10 का आर बी ई सं 139/10 और दि 9.9.2008 का आर बी ई सं 106/2008 को इस कार्यालय के दिनांक 24.9.10 का पी पट्ट प 131/2010 और दिनांक 12.9.08 का पी एस सं 105/08 में परिपंजित किया गया था।

संलग्न : यथोक्त


(लाइसेंसकार्त कार्यस्थ)
कृते महाप्रबंधक (स्था)

सभी भारतीय रेलों के महाप्रबंधकों को तथा अन्यों को संबोधित रेलवे बोर्ड के दिनांक 25.03.2011 के पत्र सं. पी सी-VI/2008/I/7/2/1 (आर बी ई सं.40/2011) की प्रतिलिपि।

विषय : रेल कर्मचारीयों को महागाई भत्ते की अदायगी 01.01.2011 से संबोधित दरें।

कृपया ऊपर उल्लिखित विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 22.09.2010 के समसंब्द्ध (क्रम सं.पी सी-VI/227 आर बी ई सं.139/2010) का अवलोकन करें। राष्ट्रपति जी ने इस पर यह मिर्णय लिया है कि रेल कर्मचारीयों को देव महागाई भत्ता 01 जनवरी, 2011 से 45% मौजूद दर से 51% तक बढ़ा दिया जाएगा।

2. इस मंत्रालय के 09.09.2008 के समसंब्द्धक पत्र (क्रम सं.पीसी-VI/3 आर बी सं.106/2008) के पैरा 3, 4 एवं 5 में निहित उपबंध इस आदेशों के अंतर्गत महागाई भत्ते का विनियमन करते समय लागू किये जाते रहेंगे।

3. इन आदेशों के तहत देव महांगाई भृत्ये की अतिरिक्त किस्त का भुगतान समस्त रेल कर्मचारियों को नकद रूप में किया जाएगा (माह जनवरी ब फरबरी, 2011 के लिए महांगाई भृत्ये की बकाया राशि का भुगतान मार्च, 2011 के बेतन के संवितरण से पहले नहीं किया जायेगा और इस प्रयोजन हेतु अलग बिल बनाने के लिए कोई मानवेय देव नहीं हैं।

4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।